संख्याः 237 /XVIII(II)/2010-1(131)/2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 2 जनवरी,2010

विषयः-उज्जवल एजुकेशन सोसायटी, रूड़की, हरिद्वार को ग्राम सालियर साल्हापुर मु0 परगना भगवानपुर तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में कुल 2500 वर्ग मी0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1080/भूमि व्यवस्था-भूमि क्रय/08-09, दिनांक-12.1.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उज्जवल एजुकेशन सोसायटी, रूड़की, हरिद्वार को ग्राम सालियर साल्हापुर मु0, परगना भगवानपुर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में एस0आई0ई0टी0 बी0एड कालेज की स्थापना हेतु कुल 2500 वर्ग मी0 भूमि क्रय करने की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III)के अन्तर्गत, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति एवं आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्या-494/3 के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हे लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बी0एड0 कालेज की स्थापना)) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

........2

यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हो और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हो।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– संस्था द्वारा प्रस्तावित क्रय की जानी भूमि का उपयोग मात्र शिक्षण कार्यो (बी0एड0 कालेज) की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। इससे भिन्न भू उपयोग किये जाने पर उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी जायेगी/स्वतः ही निहित हो जायेगी। यदि उक्त भूमि का उपयोग संस्था द्वारा किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जायेगा तो उक्त स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

8– किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी ।

11– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

12– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धो का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–237 / समदिनांकित 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– श्री गोविन्द विकास पुत्र स्व0 चन्द्रस्वरूप, सचिव, उज्जवल एजुकेशन सोसाइटी (पंजीकृत कार्यालय 150 / 18–11 सिविल लाईन रूड़की जिला हरिद्वार।
5– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6– प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।